| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में |
|---|---|---|
| 19-11-24 | आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। हमने बहस उभयपक्ष की सुनी गई। प्रार्थी द्वारा बहस में बताया गया कि विवादित आराजी नं. 285, 285/1468, 309 वाके ग्राम- [illegible] में है जिसके [illegible] एक नक्शा खाते रहे हो जबकि मौके पर प्रतिवादी सं. एक के नाम हो रही खातेदारी की आराजी में वादिनी व प्रतिवादीगण [illegible] लगायत प वादिनीगण बराबर 1/5, 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है तो उक्त भूमि [illegible] विवाद से प्राप्त हुआ है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने बाबत निवेदन किया गया है।<br><br>हमने उभय पक्ष के प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस श्रवण पश्चात मनन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादित आराजीत पर दौराने दावा पेचीदगी पैदा नहीं हो इसे मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है कि उभय पक्ष के विरुद्ध विवादित आराजी पर ता फैसला दावा दिनांक 02-02-23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा पुष्ट की जाती है।<br><br>निर्णय खुले इजलास में लिखाया जाकर सुनाया गया।<br><br>पत्रावली [illegible] से पेश होकर साथ संलग्न मूल वाद हो।<br><br>(राधेश्याम मीणा)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नगर [illegible] भरतपुर, राज | |